कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा
E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335

क्रमांक / मा.चि. / 4632 — रीवा, दिनांक 16-05-2019

प्रति,

रिलायंस जियो इन्फोकॉम
लिमिटेड 3rd Floor DB MALL
Zone 1st MP Nager Bhopal (M.P)

विषय :—रीवा जिले में 4 जी भूमिगत आप्टिकल फाइवर केवल लाइन रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आर.एफ.सी. 4 जी प्रोजेक्ट गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग तक निर्माण हेतु 0.0145 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृत जारी करने बावत्।
(प्रकरण क्रमांक FP / MP / OFC / 37378 / 2018)

संदर्भः— 1. आपका ऑन लाइन आवेदन क्रमांक FP / MP / OFC / 37378 / 2018
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 3373 दिनांक 02.04.2019
3. आपका इस कार्यालय में प्राप्त पत्र दिनांक 01.05.2019

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 01 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग के किनारे राइट आफ वे के तहत 4 जी भूमिगत आप्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 1368 भोपाल दिनांक 04.05.2019 में दिए गए निर्देशानुसार भाग–II की पूर्ति कर मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर प्रेषित किया गया, मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा भाग – III में अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 3373 दिनांक 02.04.2019 से सैद्वांतिक स्वीकृत जारी की गई थी। सशर्त स्वीकृत अनुसार आवेदक संस्था द्वारा शर्तों का पालन प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी जमा किया गया एवं ऑन लाइन राशि रुपये 100 कैम्पा खाते के अदर मद में एवं शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर 01.05.2019 को अपलोड किया गया। प्रभावित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

परिक्षेत्र	वीट का नाम	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल हे. में
श्रीवा	गोविन्दगढ़	आर.एफ. 01	290	0.5	0.0145
		कुल योगः—	290	0.5	0.0145

अतः म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11. 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ–5–11 / 2006 / 10–3 भोपाल दिनांक 31.05.2014 से जारी निर्देश एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 1368 भोपाल दिनांक 04.05.2019 से प्राप्त निर्देश एवं मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा किए गए अनुमोदन अनुसार एवं आवेदक संस्था द्वारा शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निम्नांकित शर्तों के तहत उक्त लाइन से प्रभावित वनभूमि 0.0145 हे. में 4 जी भूमिगत आप्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने हेतु औपचारिक स्वीकृत प्रदान की जाती है।

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरुप परिवर्तित नहीं होगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केवल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट आफ वे के तहत ही होगी। राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. केवल बिछाने हेतु 1.50 मीटर गहराई 290 मीटर लम्बाई एवं 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. समतलीकरण का कार्य संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. समतली करण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. फायर आप्टिकल केवल लाइन डालते समय वृक्षो को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जायेगी, एवं न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. संस्था द्वारा ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्था से वसूली जायेगी – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. संस्था से लिखित वचन पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्त मान्य होगी – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. वनभूमि स्थित उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में OFC केवल डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा – वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. आवेदक संस्था को भूमि उपयोग पर प्रदाय करने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर कार्य शुरु न किए जाने की स्थिति में वन विभाग से पुनः उस भूमि की अनुमति प्राप्त करना होगा।

(विपिन कुमार पटेल भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमंडल (सा.) रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक./मा.चि/4633 रीवा, दिनांक 16-05-2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र क्रमांक एफ–5/विविध/2019/10–11 /1368 भोपाल दिनांक 04.05.2019 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर आपके अनुमोदन दिनांक 15.03.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र रीवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। प्रकरण में रोपित शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करें, रोपित शर्तों का उल्लंघन होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल (सा.) रीवा (म.प्र.)